# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 314/2024 दायर दिनाँक 02.09.2024

**वादीगण**

1. अल्का पत्नी जैनाराम
2. चन्दा देवी पत्नी बलराम समस्त जाति जाट निवासीगण पालोट तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज.।

**बनाम्**

**प्रतिवादीगण**

1. सरोज पत्नी सहीराम
2. छोटी देवी पत्नी नेमाराम
3. मैना पत्नी शैतानाराम
4. राजू देवी पत्नी मेहरामा
5. सुखी पत्नी ओमप्रकाश
6. संतोष देवी पत्नी हीराराम समस्त जाति जाट निवासीगण पालोट तहसील डीडवाना जिला डीडवाना – कुचामन राजस्थान
7. तहसीलदार डीडवाना

**दावा बाबत्**
**बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा– 53,88,188 R.T.Act.**

**उपस्थितः–**

1. श्री मो. तुफैल खान वकील वादीगण।
2. श्री सुनिल मिश्रा वकील प्रतिवादी संख्या 1

**–:: अंतिम निर्णय ::–**

दिनाँक 09.06.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि राजस्व ग्राम कोलिया पटवार हल्का कोलिया के खेत खसरा संख्या 2 रकबा 7.8800 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 09.05.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः प.1(11)रीडर/2025/211 दिनाँक 19.05.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प. 1(11)रीडर/2025/211 दिनाँक 19.05.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

—:: आदेश ::—

राजस्व ग्राम कोलिया पटवार हल्का कोलिया के खेत खसरा संख्या 2 रकबा 7.8800 है. भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(11)रीडर/2025/211 दिनाँक 19.05.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(11)रीडर /2025/211 दिनाँक 19.05.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **09.06.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

( विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner